भारतीय स्टेट बँक
भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

June 16, 2020
CC/S&B/SA/85

The Executive Director
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001.

The Executive Director
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G- Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra – East,
Mumbai – 400051.

Dear Sir/Madam,

Sub: **SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**
65th Annual General Meeting of Shareholders of the Bank
Intimation and submission of copy of Gazette Notification

In terms of Regulation 4(2)(b)(i) of the Listing Regulations, we advise that the 65th Annual General Meeting of shareholders of the State Bank of India will be held at **"State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 on Tuesday, the 14th July, 2020 at 11.00 a.m,** if the conditions are not conducive and the local authorities do not permit to hold physical Annual General Meeting, the Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).

We have arranged for the publication of the said notice in the Gazette of India, in accordance with Regulation 21 of SBI General Regulations, 1955 and in newspapers having wide circulation in India in English and Hindi language and in Regional Language i.e. in Marathi. (Copy enclosed)

Please take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For State Bank of India

Sanjay M. Abhyankar
Vice President – Compliance (Company Secretary)

bank.sbi
+91 22 2274 0841 / 49
+91 22 2274 1476 / 74 / 31
+91 22 2274 2842
+91 22 2285 5348
+91 22 2274 0527

शेयर एवं बॉन्ड विभाग,
कॉर्पोरेट केन्द्र,
14वा माळा, स्टेट बँक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई – ४०००२१, भारत

शेयर आणि बॉन्ड विभाग,
कारपोरेट केन्द्र,
14वाँ तल, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई – ४०००२१, भारत

Shares & Bonds Dept,
Corporate Centre,
14thFloor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400021, India

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15062020-219943
CG-MH-E-15062020-219943

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2020/ज्येष्ठ 25, 1942
No. 197] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2020/JYAISTHA 25, 1942

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

मुम्बई, 5 जून, 2020

फा. सं. सीसी/एसएंडबी/एसए/70A.—भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 65वीं वार्षिक महासभा मंगलवार 14 जुलाई 2020 को सुबह 11 बजे "स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक भवन परिसर, मादाम कमा रोड, मुंबई-400 021 में आयोजित की जाएगी। परिस्थितियाँ अनुकूल न होने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा आयोजित करने की अनुमति न मिलने पर यह बैठक निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फरेन्सिन्ग/अन्य ऑडियो- विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी :

"भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2020 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की भारतीय स्टेट बैंक के कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना"।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए साधारण बैठक में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020

("एमसीए परिपत्र") और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी वार्षिक महासभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। बैठक का अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।

2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु निकाय कॉरपोरेट पात्र होंगे।

3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य वार्षिक महासभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना एजीएम में हिसा लेने की अनुमति है।

4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।

5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात 14 जुलाई 2020 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

7. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वार्षिक महासभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।

8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, वार्षिक महासभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।

9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक महासभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:-

दूर से ई-मतदान की अवधि 10 जुलाई, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज़ रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया "दो चरण" की है, जो नीचे दी गई है :

चरण 1 : https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

चरण 2 : एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करें

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही-"लॉगइन-" आइकॉन पर क्लिक करें, जो "शेयरहोल्डर्स" भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

आपने एनएसडीएल की ई-सेवाओं अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकरण किया है, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉग-इन से https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन विवरण से एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉग-इन करते ही ई-मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-2 के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं:

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागज़रहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज़ में	आपका यूजर आईडी :
क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक-आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है

	और ग्राहक आईडी 12****** है, तो आपका यूज़र आईडी होगा IN300***12******
ख) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीममैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12**********
ग) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***

5. आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में सूचित पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा। प्रारंभिक पासवर्ड को रिट्रीव करते ही आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

ग) अपने प्रारंभिक पासवर्ड को कैसे रिट्रीव करें?

(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमेट खाते अथवा बैंक के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूंढ लें। ई-मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज़ रूप से धारित शेयरों के सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और प्रारंभिक पासवर्ड होगा।

(ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Physical User Reset Password?" पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)

ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए भेज सकते हैं।

घ) एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद "'टर्म्स एंड कंडीशंस" का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।

8. अब आपको "लॉगइन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा

चरण 2 की जानकारी नीचे दी गई है :

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर दें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख पाएंगे। ई-मतदान पर क्लिक करें। उसके बाद एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप उन सभी "ईवीईएन" कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एक्टिव स्टेटस में है।
3. बैंक के "ईवीईएन" का चयन करें, जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. वोटिंग पेज खुल जाने पर आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और "सबमिट" पर क्लिक करें। कहे जाने पर "कनफर्म" पर भी क्लिक करें।
6. पुष्टि के बाद "सफलतापूर्वक मतदान किया गया" संदेश दिखाई देगा।
7. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा निर्देश-

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्केन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।
2. आपको हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" का चयन करना होगा।
3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, सीनियर मैनेजर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर +91-22-24994360 अथवा +91-9920264780 अथवा +91-22-24994545 पर फोन कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज़ रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।

2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।

3. वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (1) अथवा (2), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराकर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

वार्षिक महासभा के दिन ई-म्नानुसार हैंमतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नि-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।
2. वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित न किया गया हो, महासभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 के अनुसार मतदान करने के पात्र होंगे।
3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे वार्षिक महासभा के दिन मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।
5. बैंक को प्रत्यक्ष रूप से वार्षिक महासभा आयोजित करने की अनुमति मिल जाने पर उन सदस्यों को टैबलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इससे पहले दूर से ई-मतदान नहीं किया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। दूर से मतदान के विवरण दर्ज कर शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर भी सदस्य यह सुविधा पा सकते हैं। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर लॉगइन के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।
3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।
4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पाट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक

सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।

5. वार्षिक महासभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकारण करवा सकते हैं। वे 14 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे वार्षिक महासभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलयो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं।

6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारों का निर्धारण :- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) जो उपर्युक्त अनुसार मतदान करने के पात्र हैं, को ऐसी सभा की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि अर्थात 13.04.2020 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) वार्षिक महासभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम वार्षिक महासभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। वार्षिक महासभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

रजनीश कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III / 4 / असा. / 53 / 2020–21]

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act,1955)

NOTICE

Mumbai, the 5th June, 2020

F. No. CC/S&B/SA/70A.—The 65th Annual General Meeting of Shareholders of the State Bank of India will be held at the **"State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 on Tuesday, the 14th July, 2020 at 11.00 a.m,** if the conditions are not conducive and the local authorities do not permit to hold physical Annual General Meeting, the Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business:

"To, discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the State Bank of India made up to the 31st day of March 2020, the report of the Central Board on the working and activities of the State Bank of India for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts."

General instructions for accessing and participating in the Annual General Meeting through VC/OAVM Facility and voting through electronic means including remote e-Voting

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), physical attendance of the Members to the EGM/AGM venue is not required and Annual General Meeting (AGM) be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio

Visual Means (OAVM). The Board of Directors of the Bank has decided to adopt the above guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Bank. Hence, Members can attend and participate in the ensuing Annual General Meeting through VC/OAVM, which may not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the meeting shall be State Bank Auditorium, Corporate Centre of the Bank.

2. In view of the VC facility being provided to the members of the Bank, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members as provided in Regulation 34 of SBI General Regulations, 1955 is not available for this Annual General Meeting. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives as provided in Regulation 32 and 33 of SBI General Regulations, 1955 to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

3. The Members can join the Annual General Meeting in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 24 of SBI General Regulations, 1955.

5. Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as venue voting on 14th July, 2020 the date of the Annual General meeting will be provided by NSDL.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the Annual General Meeting has been uploaded on the website of the Bank at www.sbi.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the Annual General Meeting Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

7. Annual General Meeting has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 and if conditions are conducive and the local authorities permit for conducting the Annual General Meeting, Meeting may be convened in terms of SBI Act and SBI General Regulations, 1955.

8. In terms of Regulation 7 of SBI General Regulations, 1955 in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

9. Members who opt to be present through VC and who do not cast their vote through remote e-voting will be allowed to vote through e-voting at the Annual General Meeting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period commence on 10th July, 2020 at 10:00 A.M. IST and end on 13th July, 2020 at 5:00 P.M. IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

During the above period, Members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut off date as provided in Regulation 31 of SBI General Regulations, 1955 may cast their vote by remote e-voting.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:
   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
   c) How to retrieve your 'initial password'?
      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
      (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process **for those shareholders whose email ids are not registered.**
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
   a) Click on "**Forgot User Details/Password**?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
   b) **Physical User Reset Password**?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to info@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in ; or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at telephone Nos. +91-22- 24994360 or +91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolution set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor.complaints@sbi.co.in

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investor.complaints@sbi.co.in.

3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING ARE AS UNDER: -

1. The procedure for e-Voting on the day of the Annual General Meeting is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the Annual General Meeting. The Members are entitled to vote in terms of Regulation 31 of the SBI General Regulations, 1955.

3. Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the Annual General Meeting. However, they will not be eligible to vote at the Annual General Meeting.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the Annual General Meeting shall be the same person mentioned for remote e-voting.
5. In case, if Bank gets permission to conduct physical Annual General Meeting, voting through tablets will also be made available to members who have not earlier voted through remote e-Voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/ members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of the Bank will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker may send their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor.complaints@sbi.co.in in advance before the start of annual general meeting on 14th July, 2020 at 11.00 a.m.
6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.

Determination of voting rights.- Subject to the provisions contained in section 11 of the SBI Act, each shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than three months prior to the date of annual general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it. Every shareholder [other than the Central Government] entitled to vote as aforesaid who, shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting i.e. 13.04.2020.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.sbi.co.in and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

RAJNISH KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./53/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

State Bank of India
(Constituted under the State Bank of India Act,1955)

NOTICE

The 65th Annual General Meeting of Shareholders of the State Bank of India will be held at the **"State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 on Tuesday, the 14th July, 2020 at 11.00 a.m.,** if the conditions are not conducive and the local authorities do not permit to hold physical Annual General Meeting, the Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business:

"To, discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the State Bank of India made up to the 31st day of March 2020, the report of the Central Board on the working and activities of the State Bank of India for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts."

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400 021.
Date: 05/06/2020

(RAJNISH KUMAR)
CHAIRMAN

General instructions for accessing and participating in the Annual General Meeting through VC/OAVM Facility and voting through electronic means including remote e-Voting:

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), physical attendance of the Members to the EGM/AGM venue is not required and Annual General Meeting (AGM) be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). The Board of Directors of the Bank has decided to adopt the above guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Bank. Hence, Members can attend and participate in the ensuing Annual General Meeting through VC/OAVM, which may not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the meeting shall be State Bank Auditorium, Corporate Centre of the Bank.
2. In view of the VC facility being provided to the members of the Bank, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members as provided in Regulation 34 of SBI General Regulations, 1955 is not available for this Annual General Meeting. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives as provided in Regulations 32 and 33 of SBI General Regulations, 1955 to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
3. The Members can join the Annual General Meeting in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first-come, first-served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first-come, first-served basis.
4. The attendance of the Members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 24 of SBI General Regulations, 1955.
5. Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as venue voting on 14th July, 2020 the date of the Annual General meeting will be provided by NSDL.
6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the Annual General Meeting has been uploaded on the website of the Bank at www.sbi.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the Annual General Meeting Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility), i.e. www.evoting.nsdl.com.
7. Annual General Meeting has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 and if conditions are conducive and the local authorities permit for conducting the Annual General Meeting, Meeting may be convened in terms of SBI Act and SBI General Regulations, 1955.
8. In terms of Regulation 7 of SBI General Regulations, 1955 in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.
9. Members who opt to be present through VC and who do not cast their vote through remote e-voting will be allowed to vote through e-voting at the Annual General Meeting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period commences on 10th July, 2020 at 10:00 A.M. IST and ends on 13th July, 2020 at 5:00 P.M. IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

During the above period, Members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date as provided in Regulation 31 of SBI General Regulations, 1955 may cast their vote by remote e-voting.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.
   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices, i.e. IDEAS, you can log in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2, i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares, i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. Your password details are given below:
   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to lo gin and cast your vote.
   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
   c) How to retrieve your 'initial password'?
      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment, i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
      (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process **for those shareholders whose email ids are not registered.**
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
   a) Click on **"Forgot User Details/Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
   b) **Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
   d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders, (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter, etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to info@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Log in to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the **"Forgot User Details/Password?"** or **"Physical User Reset Password?"** option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in; or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at Telephone Nos. +91-22- 24994360 or + 91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolution set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to investor.complaints@sbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to investor.complaints@sbi.co.in.
3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the Annual General Meeting is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the Annual General Meeting. The Members are entitled to vote in terms of Regulation 31 of the SBI General Regulations, 1955.
3. Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the Annual General Meeting. However, they will not be eligible to vote at the Annual General Meeting.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the Annual General Meeting shall be the same person mentioned for remote e-voting.
5. In case, if Bank gets permission to conduct physical Annual General Meeting, voting through tablets will also be made available to members who have not earlier voted through remote e-Voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members log-in by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/member's log in where the EVEN of the Bank will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based log-in for logging into the e-Voting system of NSDL.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker may send their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor.complaints@sbi.co.in in advance before the start of annual general meeting on 14th July, 2020 at 11.00 a.m.
6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.

Determination of voting rights.- Subject to the provisions contained in section 11 of the SBI Act, each shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than three months prior to the date of annual general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it. Every shareholder [other than the Central Government] entitled to vote as aforesaid who, shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting, i.e. 13.04.2020.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.sbi.co.in and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400 021.
Date: 05/06/2020

(RAJNISH KUMAR)
CHAIRMAN

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

नोटिस

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 65वीं वार्षिक महासभा **मंगलवार 14 जुलाई 2020 को सुबह 11 बजे स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक भवन परिसर, मादाम कमा रोड, मुंबई - 400 021** में आयोजित की जाएगी। परिस्थितियाँ अनुकूल न होने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा आयोजित करने की अनुमति न मिलने पर यह बैठक निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फरेन्सिन्ग/अन्य ऑडियो- विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी:

"भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2020 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की भारतीय स्टेट बैंक के कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना।"

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कमा रोड
मुंबई - 400 021.
दिनांक: 05 जून, 2020.

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए साधारण बैठक में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020 "(एमसीए परिपत्र)" और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी वार्षिक महासभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। बैठक का अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।
2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु निकाय कॉरपोरेट पात्र होंगे।
3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य वार्षिक महासभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना एजीएम में हिसा लेने की अनुमति है।
4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।
5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात 14 जुलाई 2020 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
7. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वार्षिक महासभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।
8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, वार्षिक महासभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।
9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक महासभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:-

दूर से ई-मतदान की अवधि 10 जुलाई, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज़ रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया दो चरण की है, जो नीचे दी गई है:

चरण 1: https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

चरण 2: एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करें

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई-मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही "लॉग-इन" आइकॉन पर क्लिक करें, जो "शेयरहोल्डर्स" भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।
   आपने एनएसडीएल की ई-सेवाओं अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकरण किया है, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉग-इन से https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन विवरण से एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉग-इन करते ही ई-मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-2 के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।
4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं:

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागज़रहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज़ में	आपका यूजर आईडी:
क)वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक - आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है, तो आपका यूज़र आईडी होगा IN300***12******.
ख)वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीममैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है, तो आपका यूज़र आईडी होगा 12**********.
ग) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***.

5. आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं:
   क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।
   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में सूचित पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा। प्रारंभिक पासवर्ड को रिट्रीव करते ही आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।
   ग) अपने प्रारंभिक पासवर्ड को कैसे रिट्रीव करें?
      (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमेट खाते अथवा बैंक के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूंढ लें। ई-मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज़ रूप से धारित शेयरों के सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और प्रारंभिक पासवर्ड होगा।
      (ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें।
6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो:
   क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **"Forgot User Details/Password?"** पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)
   ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **"Physical User Reset Password?"** पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)
   ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए भेज सकते हैं।
   घ) एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद 'टर्म्स एंड कंडीशंस का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।
8. अब आपको लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा

चरण 2 की जानकारी नीचे दी गई है:

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर दें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख पाएंगे। ई-मतदान पर क्लिक करें। उसके बाद एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप उन सभी "ईवीईएन" कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एक्टिव स्टेटस में है।
3. बैंक के "ईवीईएन" का चयन करें, जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. वोटिंग पेज खुल जाने पर आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और "सबमिट" पर क्लिक करें। कहे जाने पर "कनफर्म" पर भी क्लिक करें।
6. पुष्टि के बाद "सफलतापूर्वक मतदान किया गया" संदेश दिखाई देगा।
7. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्केन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।
2. आपको हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प **"Forgot User Details/Password?"** अथवा **"Physical User Reset Password?"** का चयन करना होगा।
3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा amit@vnsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, सीनियर मैनेजर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर +91-22-24994360 अथवा +91-9920264780 अथवा +91-22-24994545 पर फोन कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज़ रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
3. वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (1) अथवा (2), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराकर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं -

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।
2. वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित न किया गया हो, महासभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 के अनुसार मतदान करने के पात्र होंगे।
3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे वार्षिक महासभा के दिन मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।
5. बैंक को प्रत्यक्ष रूप से वार्षिक महासभा आयोजित करने की अनुमति मिल जाने पर उन सदस्यों को टैबलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इससे पहले दूर से ई-मतदान नहीं किया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। दूर से मतदान के विवरण दर्ज कर शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर भी सदस्य यह सुविधा पा सकते हैं। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर लॉगइन के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।
3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।
4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पाट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।
5. वार्षिक महासभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकारण करवा सकते हैं। वे 14 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे वार्षिक महासभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलयो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं।
6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारों का निर्धारण:- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) जो उपर्युक्त अनुसार मतदान करने के पात्र हैं, को ऐसी सभा की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि अर्थात 13.04.2020 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) वार्षिक महासभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम वार्षिक महासभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। वार्षिक महासभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मदाम कामा रोड,
मुंबई - 400 021.
दिनांक: 05.06.2020

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

भारतीय स्टेट बँक
(भारतीय स्टेट बँक कायदा, 1955 अंतर्गत निर्मिती)

सूचना

भारतीय स्टेट बँकेच्या भागधारकांची 65वी वार्षिक सामान्य सभा **मंगळवार, 14 जुलै 2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता ''स्टेट बँक ऑडिटोरियम, स्टेट बँक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021** संपन्न होत आहे, जर स्थिती अनुकूल नसेल आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सभा घ्यायला परवानगी दिली नाही तर व्हिडिओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ-व्हिज्यूअल माध्यम (ओएव्हीएम) सुविधेद्वारे सभा आयोजित केली जाईल आणि खालील कामकाज पार पाडले जाईल:

''भारतीय स्टेट बँकेचा 31 मार्च 2020 पर्यंतचा आर्थिक ताळेबंद आणि नफा व तोटा खाते, लेखापरिक्षणासाठी घेतलेल्या कालावधीकरिता भारतीय स्टेट बँकेचे कामकाज आणि उपक्रम ह्यावर केंद्रिय मंडळाचा अहवाल आणि आर्थिक ताळेबंद आणि खात्यांवर लेखापरिक्षकांचा अहवाल ह्यांची चर्चा करणे आणि स्वीकारणे.''

कॉर्पोरेट केंद्र,
स्टेट बँक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई - 400 021.
दिनांक: 05 जून 2020

(रजनिश कुमार)
अध्यक्ष

व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सामान्य सभेत प्रवेश मिळवणे आणि सहभागी होणे आणि ई-मतदानासह इलेक्ट्रानिक माध्यमातून मतदान ह्यासाठी सामान्य सूचना

1. कोविड-19 महामारीच्या प्रचंड प्रादूर्भावामुळे, सामाजिक अंतर पाळणे आवश्यक आहे आणि कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने जारी केलेले दिनांक 08 एप्रिल 2020 चे परिपत्रक क्रमांक 14/2020, दिनांक 13 एप्रिल 2020 चे परिपत्रक क्रमांक 17/2020 आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (''एसईबीआय परिपत्रक'') जारी केलेले दिनांक 05 मे 2020 चे परिपत्रक क्रमांक 20/2020 (''एमसीए परिपत्रक'') आणि 12 मे 2020 चे परिपत्रक क्रमांक एसईबीआय/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआयआर/पी/2020/79 ह्यानुसार, ईजीएम/एजीएममध्ये सदस्यांची सभेच्या स्थानावर प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक नाही आणि वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्यूअल माध्यमामधून (ओएव्हीएम) भरवावी. बँकेच्या संचालक मंडळाने ठरवले आहे की कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय आणि एसईबीआयने बँकेची सामान्य सभा भरवण्याबाबत जारी केलेल्या वरील मार्गदर्शिकेचे पालन करावे. म्हणून, सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे वार्षिक सामान्य सभेत उपस्थित राहू आणि सहभागी होऊ शकतात, ज्यामध्ये सामाईक स्थानावर भौतिक उपस्थिती आवश्यक नसू शकते. सभेसाठी गृहीत स्थान बँकेचे स्टेट बँक ऑडिटोरियम, कॉर्पोरेट केंद्र हे आहे.
2. बँकेच्या सदस्यांना व्हीसी सुविधा पुरवण्याबाबत, एसबीआय सामान्य नियम, 1955 च्या नियम 34 मध्ये दिल्यानुसार सदस्यांसाठी मतदानासाठी प्रतिनिधीने उपस्थित राहाणे आणि मत देणे ही सुविधा ह्या वार्षिक सामान्य सभेसाठी उपलब्ध नाही. मात्र, एसबीआय सामान्य नियम, 1955 च्या नियम 32 आणि 33 मध्ये दिल्यानुसार बॉडी कॉर्पोरेट्स व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सामान्य सभेत उपस्थितीत राहाण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी नेमू शकतात आणि ते सहभागी होऊन ई-मतदानाद्वारे त्यांचं मत देऊ शकतात.
3. सूचनेत दिलेली प्रक्रिया पार पाडून, सदस्यांना वार्षिक सामान्य सभेत व्हीसी/ओएव्हीएम पध्दतीने सभा सुरू होण्याच्या वेळेच्या 30 मिनिटे आधी आणि नंतर सहभागी होता येईल. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे वार्षिक सामान्य सभेत सहभागी होण्याची सुविधा किमान 1000 सदस्यांना प्रथम येणाऱ्यास, प्रथम प्राधान्य ह्या तत्वावर उपलब्ध करून दिली जाईल. ह्यामध्ये मोठे भागधारक (2% किंवा जास्त भागधारणा असलेले भागधारक), प्रमोटर्स, संस्थात्मक गुंतवणूकदार, संचालक, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती, लेखापरिक्षण समितीचे अध्यक्ष, वारस आणि भरपाई समिती आणि स्टेकहोल्डर्सची रिलेशनशिप समिती, लेखापरिक्षक इत्यादींना सामावून घेतले जाणार नाही, ज्यांना प्रथम येणाऱ्यास, प्रथम प्राधान्य तत्वावर मर्यादा न घालता वार्षिक सामान्य सभेत उपस्थित राहाता येईल.
4. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सामान्य सभेत उपस्थित राहाणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती एसबीआय सामान्य नियम, 1955 च्या नियम 24 अंतर्गत गणसंख्या मोजण्याच्या हेतूसाठी उपयोगात आणली जाईल.
5. सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम 2015 (बदल झाल्यानुसार) च्या नियम 44 मधील तरतुदी कंपनी कायदा, 2013 चा कलम 108 आणि कंपनीज (मॅनेजमेंट आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन) कायदा 2014 (बदल झाल्यानुसार) चा नियम 20 एकत्र वाचल्यावर आणि एमसीए परिपत्रकानुसार बँक आपल्या सदस्यांना वार्षिक सामान्य सभेत होणाऱ्या कामकाजासाठी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरवत आहे. ह्या हेतूसाठी, बँकेने ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान सुविधा पुरवण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) सोबत अधिकृत एजन्सी म्हणून करार केला आहे. सदस्यांना 14 जुलै 2020 रोजी मत देण्यासाठी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा वापरता येईल आणि स्थानावर मतदान करता येईल, वार्षिक सामान्य सभेची तारीख एनएसडीएलकडून दिली जाईल.
6. कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या (एमसीए) दिनांक 13 एप्रिल 2020 रोजीच्या परिपत्रक क्रमांक 17/2020 नुसार बँकेच्या www.sbi.co.in वेबसाइटवर वार्षिक सामान्य सभा आयोजित केल्याची सूचना अपलोड केली आहे. ही सूचना स्टॉक एक्सचेंजेस म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वेबसाइट्सवर उपलब्ध आहे आणि वार्षिक सामान्य सभेची सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरवणारी एजन्सी) ह्यांच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.
7. कंपनी कायदा, 2013 मधील लागू तरतुदी आणि एमसीए परिपत्रक आणि दिनांक 12 मे 2020 रोजीचे सेबी परिपत्रक ह्याच्या पूर्ततेसह व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे वार्षिक सामान्य सभा संपन्न होत आहे आणि स्थिती अनुकूल असेल आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करण्याची परवानगी दिली तर एसबीआय कायदा आणि एसबीआय सामान्य नियम, 1955 नुसार सभा आयोजित केली जाईल.
8. एसबीआय नियम, 1955 च्या नियम 7 नुसार जर संलग्न धारक असतील तर कंपनीच्या सदस्यांच्या नोंदवहीत ज्याचे नाव आधी आहे त्याला/तिला वार्षिक सामान्य सभेत मत देता येईल, ज्यासाठी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आधी मत दिलेले नसावे.
9. ज्या सदस्यांना व्हीसीद्वारे उपस्थित राहायचे आहे आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत देणार नाहीत त्यांना वार्षिक सामान्य सभेत ई-मतदानाद्वारे मत देण्याची परवानगी दिली जाईल.

सदस्यांकरिता दूरस्थ ई-मतदानाच्या सूचना खाली दिल्या आहेत:

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी 10 जुलै 2020 रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10.00 वाजता सुरू होईल आणि 13 जुलै 2020 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजता समाप्त होईल. रिमोट ई-मतदान यंत्रणा एनएसडीएलकडून त्यानंतर खंडित केली जाईल. सदस्याने एकदा मत दिले की नंतर ते त्याला बदलता येणार नाही.

वरील कालावधी दरम्यान, बॅकेचे जे सदस्य, एसबीआय सामान्य नियम, 1955 च्या नियम 31 नुसार कट ऑफ तारखेला भौतिक स्वरूपात किंवा अभौतिक स्वरूपात भागधारणा करत असतील त्यांना दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत देता येईल.

एनएसडीएल ई-मतदान यंत्रणा वापरून मी मत कसे देऊ?

एनएसडीएल ई-मतदान यंत्रणेवर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मत देताना 'दोन पायऱ्या' वापराव्यात, ज्या खाली दिल्या आहेत:

पायरी 1: एनएसडीएल ई-मतदान यंत्रणा https://www.evoting.nsdl.com/ वर लॉगिन करा

पायरी 2: एनएसडीएल ई-मतदान यंत्रणेवर तुमचं मत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने द्या.

पायरी 1 चा तपशील खाली दिला आहे:

एनएसडीएल ई-मतदान वेबसाइटवर लॉगिन कसे करावे?

1. एनएसडीएलच्या ई-मतदान वेबासाइटवर भेट द्या. वैयक्तिक कॉंप्यूटर किंवा मोबाइलवर वेब ब्राउसर ओपन करण्यासाठी हा यूआरएल टाइप करा: https://www.evoting.nsdl.com/
2. ई-मतदान यंत्रणेचे होम पेज लॉंच झाल्यावर ''लॉगिन'' आयकनवर क्लिक करा, जे 'शेअरहोल्डर्स' सेक्शनखाली उपलब्ध आहे.
3. नवीन स्क्रीन ओपन होईल. तुम्हाला यूझर आयडी, तुमचा पासवर्ड आणि स्क्रीनवर दाखवलेला वेरिफिकेशन कोड एंटर करावा लागेल.
   दुसरा पर्याय, जर आपण एनएसडीएल ईसर्विसेस अर्थात आयडियाजसाठी नोंदणीकृत असाल तर आपण आपल्या विद्यमान आयडीईएएस लॉगिनसह https://eservices.nsdl.com/ वर लॉग इन करू शकता. एकदा तुम्ही तुमचा लॉग-इन तपशील वापरल्यानंतर एनएसडीएलच्या सेवेमध्ये प्रवेश केला की ई-वोटिंगवर क्लिक करा आणि तुम्ही पायरी 2 वर जाऊ शकता. म्हणजे तुमचे मत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने द्या.
4. तुमचा यूझर आयडी तपशील खाली दिला आहे:

भागधारणेची प्रकार म्हणजे डिमॅट (एनएसडीएल किंवा सीएसडीएल) अथवा भौतिक	तुमचा यूझर आयडी आहे:
अ) जे सदस्य एनएसडीएलकडे डिमॅट खात्याच्या स्वरूपात भागधारणा करत आहेत त्यांच्यासाठी.	8 अक्षरांचा डीपी आयडी त्यानंतर 8 डिजिट क्लायंट आयडी उदाहरणार्थ, जर तुमचा डीपी आयडी आयएन 300*** आहे क्लायंट आयडी 12****** आहे तर तुमचा यूझर आयडी आहे आयएन 300***12******.
ब) जे सदस्य सीडीएसएलकडे डिमॅट खात्याच्या स्वरूपात भागधारणा करत आहेत त्यांच्यासाठी.	16 अंकी बेनिफिशियरी आयडी उदाहरणार्थ, तुमचा बेनिफिशियरी आयडी 12********** असेल तर तुमचा यूझर आयडी आहे 12**********.
क) जे सदस्य भौतिक स्वरूपात भागधारणा करत आहेत त्यांच्यासाठी.	इवन नंबर, त्यानंतर बँकेकडे नोंद केलेला फोलिओ क्रमांक. उदाहरणार्थ, फोलिओ क्रमांक 001*** असेल आणि इवन 101456 असेल तर यूझर आयडी आहे 101456001***.

5. तुमचा पासवर्डचा तपशील खाली दिला आहे:
   अ) तुम्ही ई-मतदानासाठी आधी नोंद केली असेल तर लॉगिन करण्यासाठी सध्याचा पासवर्ड वापरू शकता आणि मत देऊ शकता.
   ब) तुम्ही प्रथमच एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली वापरत असल्यास, आपल्याला सूचित केलेला 'प्रारंभिक पासवर्ड' परत मिळवणे आवश्यक आहे. एकदा आपण आपला 'आरंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त केल्यानंतर तुम्हाला 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे आणि सिस्टम आपल्याला आपला संकेतशब्द बदलण्यास भाग पाडेल.
   क) तुमचा 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन्हा कसा मिळवायचा?
      (i) आपला ईमेल आयडी तुमच्या डिमॅट खात्यात किंवा बँकेत नोंदणीकृत असेल तर तुमचा 'आरंभिक पासवर्ड' तुमच्या ईमेल आयडीवर तुम्हाला कळविला जाईल. आपल्या मेलबॉक्समधून एनएसडीएलकडून आपल्याला पाठविलेल्या ईमेलचा शोध घ्या. ईमेल उघडा आणि संलग्नक म्हणजेच .पीडीएफ फाइल उघडा.pdf फाइल उघडण्यासाठी पासवर्ड म्हणजे एनएसडीएल खात्यासाठी तुमचा 8-अंकी क्लायंट आयडी, सीडीएसएल खात्यासाठी क्लायंट आयडीचा शेवटचा 8 अंक किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात असलेल्या शेअर्ससाठी फोलिओ नंबर.pdf फाईलमध्ये आपला 'यूजर आयडी' आणि तुमचा 'आरंभिक पासवर्ड' आहे.
      (ii) आपला ईमेल आयडी नोंदणीकृत नसल्यास, कृपया ज्यांचा ईमेल आयडी नोंदणीकृत नाहीत अशा भागधारकांसाठी प्रक्रियेत खाली नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करा.
6. आपण 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन्हा मिळवण्यात अक्षम असाल किंवा 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त झाला नसेल किंवा आपला पासवर्ड विसरला असाल तर:
   अ) www.evoting.nsdl.coा येथे **'फरगॉट यूझर तपशील/पासवर्ड?'** पर्याया वर क्लिक करा (जर एनएसडीएल किंवा सीडीएसएल सोबत तुम्ही भागधारणा करत असाल)
   ब) www.evoting.nsdl.com येथे **'फिजिकल यूझर रिसेट पासवर्ड?'** पर्यायावर (जर तुम्ही भौतिक स्वरूपात भागधारणा करत असाल)
   क) वरील दोन पर्यायांमधूनही तुम्हाला पासवर्ड मिळत नसेल तर तुम्ही शींळपसऽपीवश्र.ले.ळप येथे विनंती पाठवा ज्यात तुमचा डिमॅट खाते क्रमांक/फोलिओ क्रमांक, पॅन क्रमांक, तुमचं नाव आणि तुमचा नोंदणीकृत पत्ता द्या.
   ड) एनएसडीएलच्या ई-मतदान यंत्रणेवर मत देताना सदस्यांना ओटीपीही वापरता येईल (वन टाइम पासवर्ड)
7. आपला पासवर्ड प्रविष्ट केल्यानंतर, चेकबॉक्सवर निवडून 'अटी व शर्ती' वर सहमती दर्शवा.
8. आता, 'लॉगिन' बटणावर क्लिक करा
9. आपण 'लॉगिन' बटणावर क्लिक केल्यानंतर ई-मतदानाचे मुख्य पृष्ठ उघडेल.

पायरी 2 वर खालील तपशील दिला आहे:

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एनएसडीएल ई-मतदान प्रणालीवर आपले मत कसे द्यावे?

1. पायरी 1 वर यशस्वी लॉगिननंतर आपण ई-मतदानाचे मुख्य पृष्ठ पाहू शकाल. ई-मतदान वर क्लिक करा. त्यानंतर, सक्रिय मतदान सायकलवर क्लिक करा.
2. व्होटिंग सायकलवर क्लिक केल्यानंतर, आपण ज्या 'ईव्हन' मध्ये आपले समभाग आहेत आणि ज्यांचे मतदान सायकल सक्रिय स्थितीत आहे अशा सर्व कंपन्या आपण पाहण्यास सक्षम असाल.
3. ज्या बँकेसाठी तुम्हाला मतदान करायचं आहे तिचे 'इवन' सिलेक्ट करा.
4. वोटिंग पेज ओपन झाल्यामुळे तुम्ही ई-मतदान करू शकता.
5. योग्य पर्याय निवडून आपले मत द्या म्हणजेच संमती किंवा असहमती, आपण ज्या मत सामायिक करू इच्छित आहात त्या शेअर्सची संख्या सत्यापित करा आणि 'सबमिट करा' वर क्लिक करा आणि सूचित केल्यास 'कन्फर्म' करा
6. कन्फर्मेशननंतर ''तुमचं मत यशस्वीपणे दिलं'' असा संदेश येईल.
7. तुम्ही दिलेल्या मताचा प्रिंट आउट तुम्ही घेऊ शकता, ज्यासाठी कन्फर्मेशन पेजवर प्रिंट पर्यायावर क्लिक करा
8. एकदा आपण रिझोल्यूशनवर आपल्या मताची पुष्टी केली की आपल्याला आपल्या मतात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

भागधारकांसाठी सामान्य मार्गदर्शिका

1. संस्थात्मक भागधारकांना (म्हणजेच व्यक्तींव्यतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआय इत्यादी) संबंधित मंडळाच्या ठराव/प्राधिकरणाच्या पत्राची स्कॅन कॉपी (पीडीएफ/जेपीजी स्वरूप) इत्यादी पाठविणे आवश्यक आहे जे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता (आयए) च्या प्रमाणित नमुना स्वाक्षर्यासह आहेत. evoting@nsdl.co.in वर चिन्हांकित केलेल्या प्रतीसह, ईमेल info@mehta-mehta.com वर ईमेलद्वारे स्क्रूटिनायझरला मतदान करण्यास अधिकृत केले
2. आपला पासवर्ड इतर कोणत्याही व्यक्तीबरोबर सामायिक करू नये आणि आपला पासवर्ड गोपनीय ठेवण्यासाठी पूर्ण काळजी घ्यावी अशी शिफारस केली जाते. ई-मतदान वेबसाइटवर लॉग इन करणे योग्य पासवर्डमधील पाच अयशस्वी प्रयत्नांनंतर अक्षम केले जाईल. अशा इव्हेंटमध्ये आपल्याला 'विसरलेला वापरकर्ता तपशील/पासवर्ड' **'जाण्याची आवश्यकता आहे?** किंवा **'फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?'** पासवर्ड रीसेट करण्यासाठी www.evoting.nsdl.com वर जावे.
3. काही शंका असल्यास आपण भागधारकांसाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफक्यू) आणि www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या भागधारकांसाठी ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिका पहा किंवा टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकता: 1800-222-990 किंवा श्री. अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक किंवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in; किंवा amitv@nsdl.co.in; किंवा pallavid@nsdl.co.in वर निवेदन पाठवा; किंवा दूरध्वनी क्रमांक +91-22-24994360 किंवा +91-9920264780 किंवा +91-22-24994545 जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण देखरेख करतील.

डिपॉझिटरीजकडे ज्या भागधारकांचे ईमेल आयडी नोंदलेले नाहीत त्यांना यूझर आयडी आणि पासवर्ड मिळवण्यासाठी आणि सूचनेत दिलेल्या ठरावावर ई-मत देण्यासाठी ईमेल आयडीची नोंद करण्यासाठी प्रक्रिया:

1. जर शेअर्स प्रत्यक्ष पध्दतीने ठेवलेले असतील तर कृपया फोलिओ क्रमांक, समभागधारकाचे नाव, समभाग दाखल्याची स्कॅन केलेली प्रत (समोर व मागे), पॅन (पॅन कार्डची स्वत: ची साक्षांकित स्कॅन केलेली प्रत), आधार (स्वतची साक्षांकित स्कॅन केलेली प्रत) आधार कार्ड) investor.complaints@sbi.co.in वर ईमेल करा
2. समभाग डिमॅट मोडमध्ये असल्यास, कृपया डीपीआयडी-सीएलआयडी (16 अंकी डीपीआयडी + सीएलआयडी किंवा 16 अंकी लाभार्थी आयडी), नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित खात्याच्या स्टेटमेन्टची प्रत, पॅन (पॅन कार्डची स्वत: ची साक्षांकित स्कॅन केलेली प्रत) द्या. आधार (स्वयं-प्रमाणित आधार कार्डाची स्कॅन केलेली प्रत) investor.complaints@sbi.co.in वर पाठवा.
3. वैकल्पिकरित्या सदस्याने पॉईंट (1) किंवा (2) मध्ये नमूद केलेला तपशील दाखवून युझर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी evoting@nsdl.co.in वर ईमेल विनंती पाठवू शकतो.

सर्वसाधारण वार्षिक सभेच्या दिवशी ई-वोटिंगसाठी सदस्यांसाठी सूचना:-

1. सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी ई-मतदानाची प्रक्रिया रिमोट ई-मतदानासाठी उपरोक्त सूचनांप्रमाणेच आहे.
2. केवळ असेच सदस्य / भागधारक, जे प्रमुख / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सर्वसाधारण सभेमध्ये हजर असतील आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ठरावावर मतदानाचा हक्क बजावला नसेल आणि अन्यथा तसे करण्यास मनाई केली नसेल तर, ई-माध्यमातून मतदानास पात्र ठरतील सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान यंत्रणा. सदस्यांना एसबीआय जनरल रेग्युलेशन्स 1955 च्या 31 च्या नियमात मतदान करण्याचे अधिकार आहेत.
3. ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करणारे सदस्य वार्षिक सामान्य सभेमध्ये उपस्थित राहाण्यासाठी पात्र ठरतील. पण, ते वार्षिक सामान्य सभेमध्ये मत देण्यासाठी पात्र राहाणार नाहीत.
4. सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी ई-मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही तक्रारीसाठी संपर्क साधू शकर्णाया व्यक्तीचा तपशील दूरस्थ ई-मतदानासाठी उल्लेखलेला तोच व्यक्ती असेल.
5. जर बँकेला प्रत्यक्ष भौतिक वार्षिक सामान्य सभा घेण्यास परवानगी मिळाली तर यापूर्वी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान न केलेल्या सभासदांना टॅबलेटद्वारे मतदान देखील केले जाईल.

व्हीसी/ओएव्हीएम मार्गे सर्वसाधारण सभेला भाग घेण्यासाठी सदस्यांना सूचना:

1. एनसीडीएल ई-मतदान प्रणालीद्वारे व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत सर्वसाधारण सभेला जाण्यासाठी सदस्याला सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. दूरस्थ ई-मतदान क्रेडेन्शियल्सचा वापर करुन भागधारक/सदस्य लॉगिन अंतर्गत सदस्य https://www.evoting.nsdl.com वर प्रवेश करू शकतात. व्हीसी/ओएव्हीएमची लिंक भागधारक/सदस्यांच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध असेल जिथे बँकेचा ईव्हीईएन दर्शविला जाईल. कृपया लक्षात घ्या की ज्या सदस्यांकडे ई-मतदानासाठी वापरकर्ता आयडी आणि संकेतशब्द नाही किंवा वापरकर्त्याचा आयडी आणि संकेतशब्द विसरला आहे अशा सदस्यांना शेवटच्या मिनिटात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी सूचनेत नमूद केलेल्या रिमोट ई-मतदान सूचनांचे पालन करून ते पुन्हा मिळवू शकतात. पुढील सदस्य एनएसडीएलच्या ई-मतदान प्रणालीमध्ये लॉग इन करण्यासाठी ओटीपी आधारित लॉगिन देखील वापरू शकतात.
2. सदस्यांना आम्ही प्रोत्साहन देतो की त्यांनी चांगल्या अनुभवासाठी लॅपटॉप्सद्वारे सभेत सहभागी व्हावे.
3. तसेच, सदस्यांनी चांगला स्पीड असलेले इंटरनेट वापरावे जेणेकरून सभेत अडथळा येणार नाही.
4. कृपया लक्षात घ्या की मोबाइल डिव्हाइस किंवा टॅब्लेटवरून किंवा लॅपटॉपद्वारे मोबाईल हॉटस्पॉटवर कनेक्ट करणारे सहभागी त्यांच्या संबंधित नेटवर्कमधील अस्थिरतेमुळे ऑडिओ/व्हिडिओ गमावू शकतात. म्हणूनच कोणत्याही प्रकारच्या उपरोक्त चुका टाळण्यासाठी स्थिर वाय-फाय किंवा लॅन कनेक्शन वापरण्याची शिफारस केली जाते.
5. जे भागधारक बैठकीत आपले मत मांडायला/प्रश्न विचारू इच्छितात त्यांनी सभासद म्हणून त्यांची नावे, डिमॅट खाते क्रमांक/फोलिओ क्रमांक, ईमेल आयडी, investor.complaints@sbi.co.in वर मोबाईल नंबर नमूद करुन विनंती पाठवू शकतात. 14 जुलै 2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता वार्षिक सामान्य सभा सुरू होण्यापूर्वी आगाऊ कळवू शकतात.
6. ज्या भागधारकांनी स्वत: स्पीकर म्हणून नोंदणी केली आहे त्यांना फक्त त्यांचे विचार व्यक्त करणे/प्रश्न विचारण्याची परवानगी आहे. याला बँकेकडून योग्य प्रतिसाद मिळेल.

मतदानाच्या हक्कांचे निर्धारण - एसबीआय कायद्याच्या कलम 11 मधील तरतुदींच्या अधीन, प्रत्येक समभागधारक जो वार्षिक सामान्य सभेच्या तारखेपूर्वी तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी भागधारक म्हणून नोंदणीकृत असेल अशा बैठकीमध्ये, त्याच्याकडे असलेल्या प्रत्येक पन्नास समभागांसाठी एक मत द्या. प्रत्येक भागधारक केंद्र सरकार व्यतिरिक्त वरील प्रमाणे मत देण्यास पात्र आहेत ज्यांच्याकडे अशा बैठकीच्या तारखेच्या आधीच्या तीन महिन्यांच्या पूर्ण कालावधीत असलेल्या प्रत्येक पन्नास समभागांसाठी एक मत असेल म्हणजे म्हणजे 13.04.2020.

तपासनीस, वार्षिक सामान्य सभेच्या मतदानाच्या समाप्तीनंतर लगेचच सर्वसाधारण सभेच्या वेळी देण्यात आलेल्या मतांची मोजणी करेल, त्यानंतर रिमोट ई-वोटिंगद्वारे टाकलेल्या मतांची मोजणी रद्द करेल आणि सर्वसाधारण सभेच्या समाप्तीच्या 48 तासांआधी, सभापती किंवा त्याच्या लेखी अधिकृत अधिकृत व्यक्तीकडे, किंवा त्याच्या बाजूने दिलेल्या मतांच्या बाजूने किंवा विरोधात, एकत्रित तपासनीसाचा अहवाल, जो त्याचे प्रतिवाद करेल.

तपासनीसाच्या अहवालासह जाहीर केलेला निकाल बँकेच्या वेबसाइट www.sbi.co.in व एनएसडीएलच्या https://www.evoting.nsdl.com च्या वेबसाइटवर त्वरित ठेवला जाईल. बँक एकाच वेळी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बीएसई लिमिटेडला पाठवेल, जिथे बँकेचे समभाग सूचीबद्ध आहेत.कॉर्पोरेट केंद्र,

स्टेट बँक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई - 400 021.
दिनांक: 05 जून 2020

(रजनिश कुमार)
अध्यक्ष